

हिमाचल प्रदेश तेरहवीं विधान सभा

(षष्ठम् सत्र)

मौखिक उत्तर हेतु स्थगित प्रश्न

बुधवार, 21 अगस्त, 2019/30 श्रावण, 1941(शक्)

[मुख्य मन्त्री - सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मन्त्री - शिक्षा मन्त्री - शहरी विकास मन्त्री - कृषि मन्त्री - स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मन्त्री - उद्योग मन्त्री - वन मन्त्री तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मन्त्री].

कुल प्रश्न - 1

भूमि अधिग्रहण मुआवजा

*837 श्रीमती रीता देवी (इन्दौरा):

क्या मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) यह सत्य है कि इन्दौरा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में NH-21 के अन्तर्गत गांव डमटाल, मोहटली, सूरजपुर व तोकी में भूमि अधिग्रहण हेतु किसानों को 15,000/- रुपये प्रति मरला मुआवजा प्रदान किया गया तथा साथ लगते पंजाब के क्षेत्र में 3,00,000/- रुपये प्रति मरला मुआवजा दिया गया; और

(ख) यदि हां, तो सरकार पंजाब की तर्ज पर मुआवजा देने हेतु मामला केन्द्र से उठाएगी?

शिमला: 171004.

दिनांक: 3 अगस्त, 2019.

यशपाल शर्मा,

सचिव।